

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 27 जुलाई, 2017

विषय:- दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के संदर्भ में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2016 के सादृश्य शासनादेश संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें ग्रेड वेतन ₹0 8700/- के लिये तालिका लेवल-13 निर्धारित था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 मई 2017 द्वारा ग्रेड वेतन ₹0 8700/- के लिये निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 को संशोधित कर दिया गया है।

2. भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 16 मई 2017 के क्रम में शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन ₹0 8700/- के लिये संलग्नक की तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित मैट्रिक्स लेवल-13 की कोष्ठिकाओं को स्तम्भ-3 के अनुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त संशोधन से हुए वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप देय वेतन के अवशेष का भुगतान शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-10 की व्यवस्थानुसार दो वित्तीय वर्षों में किया जायेगा।

4- उपर्युक्त क्रम में राज्य के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016, एवं वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका का लेवल-13 उक्त सीमा तक संशोधित समझें जायेंगे।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

**अजय अग्रवाल
सचिव।**

संख्या-11/2017/वे0आ0-2-563(1)/दस-2017-04(एम)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

- 1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एवं ॥ तथा आडिट- । एवं ॥,
उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-11/2017/वे0आ0-2-563/दस-2017-04(एम)/2017 दिनांक 27 जुलाई, 2017

का संलग्नक।

क्र० सं०	शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू० 8700 के लिये निर्धारित मैट्रिक्स लेवल-13	ग्रेड वेतन रू० 8700 के लिये प्रतिस्थापित मैट्रिक्स लेवल-13
(1)	(2)	(3)
1	118500	123100
2	122100	126800
3	125800	130600
4	129600	134500
5	133500	138500
6	137500	142700
7	141600	147000
8	145800	151400
9	150200	155900
10	154700	160600
11	159300	165400
12	164100	170400
13	169000	175500
14	174100	180800
15	179300	186200
16	184700	191800
17	190200	197600
18	195900	203500
19	201800	209600
20	207900	215900
21	214100	

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।